राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (52) वन / 2015 जयपुर, दिनांकः– 18-03-2015

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(HoFF)
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः– **Construction of Road from Badodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar.**

संदर्भ :–प्रस्ताव संख्या **FP/RJ/ROAD/7757/2014.**

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज0 जयपुर के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पत्र संख्या एफ.न. 11–9 / 98–एफसी दिनांक 03.01.2005, 13.02.2014 व भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 736 दिनांक 10.09.2014 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत् जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए **Construction of Road from Badodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar** में 0.994 है0 हेतु वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्वान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती हैः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेडो की संख्या से अधिक पेडो का पातन नहीं किया जावेगा।
4. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
5. प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित पेडों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस–पास में वनस्पति / वन्यजीवन (**Flora/Fauna**) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो के पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण. एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जावेगी।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी
10. उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा संख्या **CAF Rajasthan SB01025225** कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक–11, भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–11003 में जमा कराया जायेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ. सी.ए. के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।
13. अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये

आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11, भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–11003 में जमा करने के उपरांत ही जमा राशि की पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी., क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

14. नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षैत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।
15. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि/क्षेत्र का हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व नहीं की जाएगी।

भवदीय,

(सी0एस0 रत्नासामी)
शासन सचिव

Secretary to Government
Forest Department
Govt. Secretariat, JAIPUR

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर वन महानिदेशक–वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा ।
5. अधिशाषी अधियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग अकलेरा जिला झालावाडा, राजस्थान ।
6. रक्षित पत्रावली।

(सी0एस0 रत्नासामी)
शासन सचिव

Secy forect/document Ajay folder State Approval